

2020/00242

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री नेमीचन्द पुत्र श्री रायचन्द जैन
प्राति जैन

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

निवासी सिरोही रोड तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

कसम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 44 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
1.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनांक 13.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला कलक्टर द्वारा नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत दिए गए आदेश क्र. सतर्कता/98/3052-65 दिनांक 12.09.1998 के प्रतिलिपी एवं किन-किन नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही हुई उसकी प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनांक 13.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला कलक्टर द्वारा नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत दिए गए आदेश क्र. सतर्कता/98/3052-65 दिनांक 12.09.1998 के प्रतिलिपी एवं किन-किन नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही हुई उसकी प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

294-95
13/8/20


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही